भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2025
गुरुवार, 8 अगस्त, 2024/17 श्रावण, 1946 (शक)

देश मे महिलाओं के लिए गुणवत्तापरक रोजगार

2025. डा. फौजिया खान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं के लिए रोजगार की खराब होती गुणवत्ता, विशेष रूप से महिलाओं में स्वरोजगार और अवैतनिक पारिवारिक कार्य में वृद्धि के संबंध में चिंताओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मुद्दे के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिलाओं के सामने श्रम बाजार में आने वाली चुनौतियों जैसे कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार की गुणवत्ता में सुधार करना और श्रम बल भागीदारी तथा स्त्री- पुरुष मजदूरी में अंतर को कम करने का समाधान करने के लिए विशिष्ट उपाय लागू किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके इच्छित और प्राप्त परिणामों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

वर्ष	डब्ल्यूपीआर (% में)	यूआर (% में)
2017-18	22.0	5.6
2018-19	23.3	5.1
2019-20	28.7	4.2
2020-21	31.4	3.5
2021-22	31.7	3.3
2022-23	35.9	2.9

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि महिला डब्ल्यूपीआर यानी रोजगार में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति है और बेरोजगारी दर में कमी की प्रवृत्ति है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें/उपाय किए हैं।

सरकार ने महिला कामगारों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण जैसे सवेतन मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, शिशुगृह सुविधा, समान मजदूरी आदि के लिए श्रम कानूनों में अनेक प्रावधान शामिल किए हैं।

सरकार महिला एलएफपीआर को बढ़ावा देने के साथ-साथ समग्र एलएफपीआर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (वाइज-किरण), सर्ब पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन आदि के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes मे पर देखा जा सकता है।

महिला कामगारों की नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा की।

*****